

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	
342	मांगू पुत्र नन्दा 2/9 जति नाथक साठ देह खातेदार	355	0-4086	मौजीलाल पुत्र नन्दा जति नाथक साठ देह खातेदार	355	0-4086

क्रमांक :- PAKSA/21/17
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
दिनांक 2021 पं.म. मौलासर
06.10.21

शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
दिनांक :-

क्रमांक :-
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. पटवार हल्का रस्ता पर को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णय दूसर पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर